वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2011 – 12

नव आस्था जन विकास सेवा समिति

केदारपुर ,अम्बिकापुर
जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)

मुखपृष्ठ

प्रिय साथियों,

नव आस्था जन विकास सेवा समिति का मुख्य लक्ष्य ही सेवा करना है। विगत 07 वर्षों से यह संस्था सरगुजा के सर्वांगिन विकास के लिये प्रयासरत हैं सरगुजा वासियों के क्षमता वृद्धि, कृषि विकास, स्वास्थ्य कानूनी सहायता, षिक्षा आदि क्षेत्र में नव आस्था जन विकास सेवा समिति अपनी अहम् भूमिका निभाता आ रहा है। जब भी आजीविका की बात आई है नव आस्था जन विकास समिति ग्रमीणों के सहयोग के लिए दृढ़ता के साथ प्रथम पंक्ति में खड़ा रहा है। जीवन से जुड़ी मूलभूत आवष्यकताओं की पूर्ति में नव आस्था जन विकास सेवा समिति समुदाय के साथ बराबर की साझेदारी निभाता आया हैं। नव आस्था जन विकास सेवा समिति द्वारा किये गये कार्यों को कागजों में नहीं बांधा जा सकता है। फिर भी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिये सेवा मंडल द्वारा 2011.12 में प्रमुखता से किये गये कार्यों को संकलित कर आपको बताते हुये हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि विकास की राह पर आगे बढ़ने की इस मिरान में आप अपना सहयोग सतत् प्रदान करते रहेंगे।

अध्यक्ष / सचिव

नव आस्था जन विकास सेवा समिति

वार्षिक प्रगति

नव आस्था जन विकास सेवा समिति ने वर्ष 2011–2012 के दौरान सामाजिक विकास तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए निम्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया है।

1- प्रौढ़ षिक्षा कार्यक्रम :–

षिक्षा के अभाव में मानव हमेषा दिषाहीन होते आया है। षिक्षा ही मानव को विकास का आधार रखने में हमारा मार्ग प्रषस्त करती। षिक्षा मानव की मूलभूत आवष्यकता बन गई है। परन्तु ग्रामीण समाज में आज भी गांव के अधिकांष मुखिया निरक्षर हैं समाज के विकास के लिए उनका षिक्षित होना अतिआवष्यक है। इसलिए संस्था ने निरक्षरों को साक्षर करने की दिषा में पहल करते हुए स्वयं सेवकों के माध्यम से 8 गांव में प्रौढ़ षिक्षा केंद्र का संचालन कर उन्हे साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

2- कृषि व उद्यानिकी विकास कार्यक्रम :–

भारत एक कृषि प्रधान देष है। परन्तु आज ही आधी आबादी को भूखे ही सोना पड़ता है। कृषि व पर्यावरण का अहम भागीदारी हमारे जीवन को हर पल प्रभावित कर रहा है। इसलिए कृषि को विषेषकर जैविक कृषि को बढ़ावा देने व उद्यानिकी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करेने के लिए राजपुर,सीतापुर,मैनपाट,बलरामपुर व कुसमी विकासखंड कृषि सह उद्यानिकी जागरूकता षिविर का आयोजन किया गयो। जिसमें कुल 1965 लोगों ने भागीदारी की है।

3- उपभोक्ता जागरूकता षिविर :–

बाजारीकरण के इस दौर में उपभोक्ता सतर्क ना रहे तो हर तरफ कम्पनियां लुटने

के लिए तैयार हैं। बाजार से खरीदी गई वस्तु का मूल्य के अनुपात में बराबर का लाभ ले सके इस उद्देष्य से संस्था ने बलरामपुर जिले के समस्त विकासखंड मुख्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता षिविर का आयोजन किया। इस षिविर में मुख्य रूप से खरीददारी करते समय ध्यान देने वाली प्रमख बिन्दु जैसे आईएसआई मार्क, उत्पादन दिवस, उपभोग योग्य रहने की अवधि तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी षिविर में आए प्रतिभागियों को दी गई।

4- पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम :-

आज से 15 वर्ष पूर्व जिला सरगुजा अपने पर्यावरण के लिए पूरे प्रदेष में पहचाना जाता है। क्योंकि यहां कड़ाके की ठंड और वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती थी। इसका मुख्य कारण यहां के भौगोलिक बनावट व सघन वन क्षेत्र थे। परंतु वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो चला है और यह क्षेत्र अल्पवृष्टि से हमेषा प्रभावित रहता है। इसके लिए संस्था ने मैनपाट, बतौली व सीपापुर विकासखंड में 10 जागरूकता षिविरों का आयोजन कर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को बचाने के उपाए आदि के बारे में विस्तृत चर्चा के साथ जानकारी दी गई। सम्मेलन में वन समिति व वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने वनों को बचाने में सहयोग की अपेक्षा की।

5- ग्रामोद्योग व आयवृद्धि गतिविधि :-

भोज्य योग्य समस्त कच्चे मालों का उत्पादन ग्राम में ही होता है। परन्तु जानकारी व कौषलता के अभाव में ग्रामीणजन उसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्था ने राजपुर विकासखंड में बांस बर्तन बनाने का प्रषिक्षण का आयोजन किया। संस्था के मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रषिक्षण दिया गया।

6- कानूनी जागरूकता षिविर :--

मानव को जन्म से ही जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन अधिकारों को और पुख्ता एवं एवं परिणामपरख बनाने के उद्देष्य से भारतीय संविधान में हमें कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इस

अधिकार के तहत जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रमुख मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। इन मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देष्य से संस्था ने बलरामपुर,सीतापुर व बतौली विकास खंड के 6 कानूनी जागरूकता प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर 300 लोगों को प्रषिक्षित किया।

7- कौषल विकास कार्यक्रम :—

स्कूली छात्रों में प्रस्तुतिकरण की क्षमता विकसित हो इसके लिए संस्था विगत दो वर्षो से छात्रों के कौषल विकास का कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छात्रों में सम्प्रेषण की क्षमता विकसित करने के साथ ही अंतराष्ट्रीय भाषाओं का प्रषिक्षण भी दिया गया। इस प्रकार कुल 10 विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों का कौषल विकास किया गया।

8- महिला कानूनी जागरूकता कार्यक्रम :—

महिलाओं को विकास के समान अवसर प्रदान करने तथा उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक तौर पर सषक्त करने के उद्देष्य से संस्था ने महिला कानुनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं के लिए विषेष रूप से बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। इन कानूनों में दहेज निषेध अधिनियम, टोनही प्रथा अधिनियम 2005, वन अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महिलाओं को दिए गए विषेषाधिकार की जानकारी प्रदान करने के लिए संस्था ने बलरामपुर, बतौली, कुसमी, सीतापुर विकासखंडों के 06 गांव मे महिला कानूनी जागरूकता षिविर का आयोजन किया। इस षिविर में 350 महिला पुरूषों ने भागीदारी निभाई।

9- व्यवसायिक प्रषिक्षण कार्यक्रम :–

वर्तमान समय में बेरोजगारी विकराल रूप लिए खड़ा है। अषिक्षित लोगों के साथ–साथ षिक्षित लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जिला प्रषासन बलरामपुर के सौजन्य से एल.डब्लु.ई योजना के तहत संस्था ने उत्सुक व रूचि रखने वाले 10 युवक तथा 20 युवतियों का चयन कर जिला स्तर पर व्यवसायकित प्रषिक्षण आयोजित किया। इस प्रषिक्षण कार्यक्रम में युवाओं के लिए राज मिस्त्री का काम तथा युवतियों को सिलाई का प्रषिक्षण संस्था द्वारा दिलवाया गया।

10- शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम :–

वर्तमान समय में षिक्षा ही विकास का आधार है, षिक्षा के बिना विकास की कल्पना ही निराधार है। हमें षिक्षा तब मिल पाएगी जब हम पाठषाला तक पहुंचेंगें। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्था ने बलरामपुर जिले में **स्कूल चले हम अभियान** के तहत 10 गांवों में षिक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाकर शाला त्यागी बच्चों को स्कूल जाने प्रेरित किया गया।